



39

न्यायालय श्रीमान राजेश्वर मोडले खातेगांव देवास म.प्र.,

R-1826-J/12

पु.या.क्र. /

श्रीमती रेखाबाई पति अनिलकुमार भार्गव पुत्री स्व. दुर्गाप्रसाद दुबे उम्र 40 वर्ष,
घंघा ग्रहकार्य निवासी राता मण्डल इन्दौर जिला इन्दौर म.प्र.,

-----अपीलार्थी/आपत्तिकर्ता

श्री विशोरायें
मे दोरिका
आमि दुश
आज दि 0
12/06/12
उत्तराखण्ड
पु.या.क्र.

विरुद्ध

- 1/ प्रमोदकुमार पिता स्व. गिरधारीलाल ब्राह्मण उम्र 62 साल,
घंघा खेती निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 2/ श्रीमती ताराबाई पति स्व. गिरधारीलालजी ब्राह्मण उम्र 100 वर्ष,
घंघा कुछ नही निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 3/ सुरेशचन्द्र पिता स्व. श्रीनारायण ब्राह्मण उम्र 65 वर्ष,
निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 4/ शरदचन्द्र पिता स्व. श्रीनारायण ब्राह्मण उम्र 63 वर्ष,
निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 5/ हषवर्धन पिता स्व. श्रीनारायण ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष,
घंघा नौकरी निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 6/ अरुण पिता स्व. श्रीनारायण ब्राह्मण उम्र 50 वर्ष,
घंघा नौकरी निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 7/ दुर्गाप्रसाद पिता श्रीनारायण ब्राह्मण के वारिस
राकेश पिता स्व. दुर्गाप्रसाद ब्राह्मण उम्र 35 वर्ष
निवासी पटवारी मोहल्ला खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 8/ श्रीमती रश्मि पति कमलेश शर्मा पिता स्व. दुर्गाप्रसाद ब्राह्मण उम्र 30 वर्ष
निवासी ग्राम माकड़ोन तहसील एवं जिला उज्जैन म.प्र.,

-----प्रतिप्रार्थीगण(रिस्पान्डेन्ट)

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. श्रू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत/-
प्रकरण धारा 109, 110 म.प्र. श्रू-राजस्व संहिता के अंतर्गत/-

महोदय,

माननीय तहसीलदार महोदय खातेगांव के समक्ष विचाराधीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 09 अ 06/11-12 में दिनांक 08/05/12 को अपीलान्त/आपत्तिकर्ता द्वारा व्यवहार न्यायालय वर्ग-02 खातेगांव के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 4 ए/11 में पारित निर्णय के विरुद्ध माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय कन्नौद द्वारा दी. विविध अपील क्रमांक

(३९)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R1536/E112

जिला - देवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी... त. ६. ६. १९१९... स्वातंत्र्य के प्रकरण क्रमांक १/३१-६/११-१२ में पारित आदेश दिनांक ८-५-१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक २५.०९.२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर देवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १५-१०-१९ को कलेक्टर देवा के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>